न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/283

भैरूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र कंवरलाल जाति खटीक निवासी पुलिया के पास कैथून जिला कोटा ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 11.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92 (ए) एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चैनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में गत खसरा नम्बर 102 मिन की 06 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वर्ष 1954 से आज तक निरन्तर वादी का कब्जा चला आ रहा है जिसके हाल खसरा नम्बर 259/331 रकबा 1.00 हैक्टर कायम किये गये हैं । उक्त भूमि नारायण पुत्र धन्ना के खाते की थी । काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही वादी का उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है और वह उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी पर वादी के विगत 58 वर्षो से भी अधिक समय से निरन्तर काबिज चले आने से कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी कम 01 का नाम विलोपित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे । प्रतिवादी कम 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि राजस्व रिकॉर्ड में गलत तौर पर अपना नाम दर्ज करवा लेने के आधार पर वह वादग्रस्त आराजी को अवैध एवं गैर कानूनी रूप से अन्यत्र खुर्द–बुर्द व हस्तान्तरित नहीं करे और वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में ताकत के बल पर कोई मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादी कम 01 करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक के 30.11.2012 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व से ही चला आ रहा है । वादी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । उक्त भूमि गलत रूप से प्रतिवादी कम 01 को विक्रय कर दी गई है । रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा अपने जवाबदावे में स्वीकार किया गया है कि उक्त भूमि पर वादी अपीलान्ट का कब्जा है । वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी अपीलान्ट अशिक्षित एवं अनपढ व्यक्ति है जो मवेशी चराने गॉव से दूर चला गया और इस दौरान वह कभी भी अपने वकील साहब से सम्पर्क नहीं कर सका इसलिए उसे उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं हुई । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.10.2013 को अपीलान्ट आकर अपने वकील साहब से मिला तब हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी अपीलान्ट का दावा डिक्री होने योग्य था जिसे त्रुटिपूर्ण रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट पुश्तैनी रूप से दिनांक 15.10.1955 के के पूर्व से ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं । आराजी नारायण पुत्र धन्ना द्वारा गलत रूप से प्रतिवादी क्रम 01 को विक्रय कर दी गई है जबकि कब्जा पूर्ववत आज भी वादी अपीलान्ट का ही मौके पर चला आ रहा है । इन तथ्यों को रेस्पोडेन्ट के द्वारा जवाबदावे में भी स्वीकार किया गया है । दिनांक 15.10.1955 से कब्जा होने के कारण वादी खातेदार घोषित होने का अधिकारी है । कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादी खातेदार घोषित होने का अधिकारी है । प्रतिवादी ने वादी के दावे के खण्डन में कुछ भी साक्ष्य पेश नहीं की है । प्रतिवादी के द्वारा दावे को स्वीकार किया गया है । इस कारण कोई तनकी कायम नहीं की गई है । पडौसी काश्तकारों के बयान करवाया जाना अनिवार्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.2012 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1991 पेज 01 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2065–68 पेश की है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 47 में खसरा नम्बर 259/332 रकबा 1.00 हैक्टर आराजी प्रतिवादी बाबूलाल वल्द कंवरलाल के खाते में दर्ज है । प्रतिवादी के द्वारा जो जवाबदावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है उसमें यह अंकित किया गया है कि दावा वादी बाबत् विभाजन स्वीकार है, आराजी का विभाजन करते हुए बंटवारे की डिक्री पारित करने में प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है परन्तु पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी संलग्न है उसमें प्रतिवादी बाबूलाल वादग्रस्त आराजी के तन्हा खातेदार हैं । वादी के द्वारा वादग्रस्त आराजी जो प्रतिवादी क्रम 01 के खाते में दर्ज है पर हक घोषणा का दावा यह कथन करते हुए पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही कब्जा है । इस कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वो खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं । पत्रावली प्रतिवादी क्रम 02 ने जवाब के साथ नक्शा ट्रेस की प्रति और पटवारी हल्का की रिपोर्ट व नकल जमाबन्दी संवत् 2065–68 एवं नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2065–68 पेश की गई हैं ।

12. अपीलान्ट वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व अपने कब्जे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व मण्डल की फुल बैंच और माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि कृषि भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं

किये जा सकते। इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.2012 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 13/283

भैरूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र कंवरलाल जाति खटीक निवासी पुलिया के पास कैथून जिला कोटा ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.2012 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 17/दावा/2012

भैरूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र कंवरलाल जाति खटीक निवासी पुलिया के पास कैथून जिला कोटा ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.2012 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 11.12.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल विजय एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.2012 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 11.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

11/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा